"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/15/2009/वाक/पांच (42).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

(एक) अधिसूचना क्रमांक एफ-10/33/2008/वाक/पांच (27) दिनांक 31-03-2008 की अनुसूची में **अनुक्रमांक 10 से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाय.**

(दो) अधिसूचना क्रमांक एफ-10/15/2009/वाक/पांच (25) दिनांक 27-05-2009 की अनुसूची में अनुक्रमांक [illegible] से **संबंधित प्रविष्टि** का लोप किया जाय.

2. **यह अधिसूचना** जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

क्रमांक एफ-10/15/2009/वाक/पांच (42).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/15/2009/वाक/पांच (42), दिनांक 28-05-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 28th May 2010

NOTIFICATION

No. F-10/15/2009/CT/V (42).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment :—

AMENDMENT

(i) In Schedule to the notification No. F-10/33/2008/CT/V (27) dated 31-03-2008, the related entry of S. No. 10 shall be omitted.

(ii) In Schedule to the notification No. F-10/15/2009/CT/V (25) dated 27-05-2009, the related entry of S. No. 3 shall be omitted.

2. This notification shall take effect from the date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/39/2009/वाक/पांच (43).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (8) सहपठित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा तिरूपति रोड केरियर, रायगढ़ के संबंध में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक लंबित कर निर्धारण कार्यवाहियां, जो 31 दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण नहीं की जाती है, पूर्ण करने की अवधि 31 मई, 2010 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

क्रमांक एफ-10/39/2009/वाक/पांच (43).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/39/2009/वाक/पांच (43), दिनांक 28-05-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 28th May 2010

NOTIFICATION

No. F-10/39/2009/CT/V (43).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) read with sub-section (9) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government, hereby, extends upto 31st May, 2010, the period of completion of every such assessment proceedings pending under the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), in respect of Tirupati Road Carrier, Raigarh which is not completed by the 31st December, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.